विधान परिषद के द्वितीय सत्र–2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
11 (क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद– उन्नाव में वृद्धावस्था, विधवा पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु कुल कितने प्रार्थना पत्र दिनांक 30–04–2023 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, उन्नाव में लम्बित है?	वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु दिनांक 30.04.2023 तक कुल 6182 आवेदन–पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, उन्नाव में लम्बित है। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत दिनांक 30.04.2023 तक कोई भी आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, उन्नाव के स्तर पर लम्बित नहीं है।
(ख) उक्त लम्बित आवेदनों में से पात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ कब तक स्वीकृत करा दिया जायेगा?	उक्त लम्बित आवेदन–पत्रों को जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से द्वारा स्वीकृत कराकर बैंक खाते की जॉच हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। पी0एफ0एम0एस0 से जवाब प्राप्त होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा रिवेरिफाई किये जाने के पश्चात पेंशन का लाभ स्वीकृत करा दिया जायेगा।

असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
समाज कल्याण विभाग